



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112025-267624
CG-DL-E-13112025-267624

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4988]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 12, 2025/कार्तिक 21, 1947

No. 4988]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 12, 2025/KARTIKA 21, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 नवम्बर, 2025

का.आ. 5157(अ).— केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम १९५६ (१९५६ का ४८) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा ३ क की उपधारा (१) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग ४८ (पुराना एन.एच.-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव – चाकण-शिक्रापूर – न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४+००० से ८२+१२० (शिक्रापूर- न्हावरा खंड) डिजाईन लम्बाई २८.१२० कि.मी. तक के निर्माण (पेव्ड शोल्डर के साथ चौड़ीकरण, दो लेन का बनाने, आदि) का निर्माण एवं पुनःसंरक्षण, अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (१) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर आक्षेप कर सकेगा।

ऐसा प्रत्येक आक्षेप उपजिल्हाधिकारी भूसंपादन क्र.१७, को लिखित रूप में किया जायगा और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपो की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा ३ ग की उप-धारा (२) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या ५४८ डी जो कि जंक्शन राष्ट्रीय राजमार्ग ४८ (पुराना एन.एच.-४) से प्रारंभ होकर तळेगाव – चाकण-शिक्रापूर – न्हावरा मार्ग तक कि.मी. ५४+००० से ८२+१२० (शिक्रापूर- न्हावरा खंड) डिजाईन लम्बाई २८.१२० कि.मी. अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र			जिले का नाम: पुणे		
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1	2	3	4	5	6
तालुक का नाम: शिरूर					
गांव का नाम: कासारी					
1	590 Part	निजी	असिंचित	0.0105 (हेक्टेयर)	0.0105
2	593 Part	निजी	असिंचित	0.1416 (हेक्टेयर)	0.1416
3	594 Part	सरकारी	असिंचित	0.0543 (हेक्टेयर)	0.0543
4	597 Part	निजी	सिंचित	0.0056 (हेक्टेयर)	0.0056
5	602 Part	निजी	सिंचित	0.0051 (हेक्टेयर)	0.0051
6	603 Part	निजी	असिंचित	0.0169 (हेक्टेयर)	0.0169
7	627 Part	निजी	सिंचित	0.0158 (हेक्टेयर)	0.0158
8	628 Part	निजी	सिंचित	0.0298 (हेक्टेयर)	0.0298
9	629 Part	निजी	सिंचित	0.0332 (हेक्टेयर)	0.0332
10	630 Part	निजी	असिंचित	0.0036 (हेक्टेयर)	0.0036
11	631 Part	निजी	असिंचित	0.0042 (हेक्टेयर)	0.0042
12	632 Part	निजी	सिंचित	0.0153 (हेक्टेयर)	0.0153
13	646 Part	निजी	असिंचित	0.0205 (हेक्टेयर)	0.0205

14	647 Part	निजी	सिंचित	0.0197 (हेक्टेयर)	0.0197
15	650 Part	निजी	असिंचित	0.0186 (हेक्टेयर)	0.0186
16	651 Part	निजी	असिंचित	0.0574 (हेक्टेयर)	0.0574
17	652 Part	निजी	सिंचित	0.0103 (हेक्टेयर)	0.0103
18	655 Part	निजी	सिंचित	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
19	656 Part	निजी	असिंचित	0.0017 (हेक्टेयर)	0.0017
गांव का नाम: शिक्रापुर					
20	1278 Part	निजी	असिंचित	0.0855 (हेक्टेयर)	0.0855
21	1282 Part	निजी	सिंचित	0.017 (हेक्टेयर)	0.017
22	1284 Part	निजी	असिंचित	0.0175 (हेक्टेयर)	0.0175
23	1305 Part	निजी	असिंचित	0.018 (हेक्टेयर)	0.018
24	1306 Part	निजी	असिंचित	0.009 (हेक्टेयर)	0.009
25	1307 Part	निजी	असिंचित	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
26	1308 Part	निजी	असिंचित	0.007 (हेक्टेयर)	0.007
27	1330 Part	निजी	सिंचित	0.004 (हेक्टेयर)	0.004
28	1332 Part	निजी	असिंचित	0.013 (हेक्टेयर)	0.013
गांव का नाम: तलेगांव दमढेरे					
29	1306 Part	निजी	असिंचित	0.0013 (हेक्टेयर)	0.0013
30	1307 Part	निजी	असिंचित	0.0023 (हेक्टेयर)	0.0023
31	1308 Part	निजी	असिंचित	0.0024 (हेक्टेयर)	0.0024
32	1730 Part	निजी	असिंचित	0.0059 (हेक्टेयर)	0.0059
33	1731 Part	निजी	असिंचित	0.0019 (हेक्टेयर)	0.0019
34	1790 Part	निजी	असिंचित	0.0361 (हेक्टेयर)	0.0361
35	3960 Part	निजी	असिंचित	0.0069 (हेक्टेयर)	0.0069
36	3962 Part	निजी	असिंचित	0.0001 (हेक्टेयर)	0.0001
37	3965 Part	निजी	असिंचित	0.0031 (हेक्टेयर)	0.0031
38	3970 Part	निजी	असिंचित	0.0021 (हेक्टेयर)	0.0021
39	3971 Part	निजी	असिंचित	0.0033 (हेक्टेयर)	0.0033
40	3978 Part	निजी	सिंचित+असिंचित	0.0026 (हेक्टेयर)	0.0026
41	3979 Part	निजी	सिंचित	0.0203 (हेक्टेयर)	0.0203

42	3980 Part	निजी	सिंचित	0.0345 (हेक्टेयर)	0.0345
43	3981 Part	निजी	असिंचित	0.0046 (हेक्टेयर)	0.0046
Total					0.7711

[फा. सं. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3A]

शेख अमीनखान, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS
NOTIFICATION

New Delhi, the 12th November, 2025

S.O. 5157(E).— In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (here in after referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (Widening/Two lane with paved shoulder etc) maintenance, Management and operation of Road of NH -48 (Old NH-4) near Talegaon-Chakan-Shikrapur-Nhavara Section of NH-548D Km 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavara Section) Design Length-28.120 Km Configuration District in Pune in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objections to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely Deputy Collector Land Acquisition No. 17. in writing and shall set out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either Allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final

The land plans and other details of the land to be covered under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land Acquisition on Road of NH-48 (Old NH-4) near Talegaon- Chakan –Shikrapur – Nhavara Section of NH-548D Km. 54/00 to 82/120 (Shikrapur to Nhavara Section) Design Length – 28.120 km in Pune the district of Pune in the state of MAHARASHTRA.

State: MAHARASHTRA			District: PUNE		
Sl. No.	Survey/Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectares)
1	2	3	4	5	6
Taluk: Shirur					
Village: Kasari					
1	590 Part	Private	Unirrigated	0.0105 (Hectare)	0.0105
2	593 Part	Private	Unirrigated	0.1416 (Hectare)	0.1416
3	594 Part	Government	Unirrigated	0.0543 (Hectare)	0.0543
4	597 Part	Private	Irrigated	0.0056 (Hectare)	0.0056
5	602 Part	Private	Irrigated	0.0051 (Hectare)	0.0051
6	603 Part	Private	Unirrigated	0.0169 (Hectare)	0.0169
7	627 Part	Private	Irrigated	0.0158 (Hectare)	0.0158
8	628 Part	Private	Irrigated	0.0298 (Hectare)	0.0298

9	629 Part	Private	Irrigated	0.0332 (Hectare)	0.0332
10	630 Part	Private	Unirrigated	0.0036 (Hectare)	0.0036
11	631 Part	Private	Unirrigated	0.0042 (Hectare)	0.0042
12	632 Part	Private	Irrigated	0.0153 (Hectare)	0.0153
13	646 Part	Private	Unirrigated	0.0205 (Hectare)	0.0205
14	647 Part	Private	Irrigated	0.0197 (Hectare)	0.0197
15	650 Part	Private	Unirrigated	0.0186 (Hectare)	0.0186
16	651 Part	Private	Unirrigated	0.0574 (Hectare)	0.0574
17	652 Part	Private	Irrigated	0.0103 (Hectare)	0.0103
18	655 Part	Private	Irrigated	0.0046 (Hectare)	0.0046
19	656 Part	Private	Unirrigated	0.0017 (Hectare)	0.0017
Village: Shikrapur					
20	1278 Part	Private	Unirrigated	0.0855 (Hectare)	0.0855
21	1282 Part	Private	Irrigated	0.017 (Hectare)	0.017
22	1284 Part	Private	Unirrigated	0.0175 (Hectare)	0.0175
23	1305 Part	Private	Unirrigated	0.018 (Hectare)	0.018
24	1306 Part	Private	Unirrigated	0.009 (Hectare)	0.009
25	1307 Part	Private	Unirrigated	0.004 (Hectare)	0.004
26	1308 Part	Private	Unirrigated	0.007 (Hectare)	0.007
27	1330 Part	Private	Irrigated	0.004 (Hectare)	0.004
28	1332 Part	Private	Unirrigated	0.013 (Hectare)	0.013
Village: Talegaon Dhamdhere					
29	1306 Part	Private	Unirrigated	0.0013 (Hectare)	0.0013
30	1307 Part	Private	Unirrigated	0.0023 (Hectare)	0.0023
31	1308 Part	Private	Unirrigated	0.0024 (Hectare)	0.0024
32	1730 Part	Private	Unirrigated	0.0059 (Hectare)	0.0059
33	1731 Part	Private	Unirrigated	0.0019 (Hectare)	0.0019
34	1790 Part	Private	Unirrigated	0.0361 (Hectare)	0.0361
35	3960 Part	Private	Unirrigated	0.0069 (Hectare)	0.0069
36	3962 Part	Private	Unirrigated	0.0001 (Hectare)	0.0001
37	3965 Part	Private	Unirrigated	0.0031 (Hectare)	0.0031
38	3970 Part	Private	Unirrigated	0.0021 (Hectare)	0.0021
39	3971 Part	Private	Unirrigated	0.0033 (Hectare)	0.0033
40	3978 Part	Private	Irrigated + Unirrigated	0.0026 (Hectare)	0.0026
41	3979 Part	Private	Irrigated	0.0203 (Hectare)	0.0203
42	3980 Part	Private	Irrigated	0.0345 (Hectare)	0.0345
43	3981 Part	Private	Unirrigated	0.0046 (Hectare)	0.0046
Total					0.7711

[F. No. RO/MUM/NH(O)/2023-24/54/3A]

SHAIKH AMINKHAN, Director